न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा राज0

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
68 / 2022	20.06.2022	02.04.2025

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– जुगल किशोर पुत्र रामनारायण जाति मेघवाल
2– धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण जाति मेघवाल
3– महेन्द्र वर्मा पुत्र रामनारायण जाति मेघवाल
निवासीगण मकान न0 123 / 144 बी रामचन्द्रपुरा कोटा

(वादीगण)

बनाम

1– अशोक पुत्र मन्नालाल जाति बलाई निवासी नयाखेडा तह0 लाडपुरा
2– कमलेश पत्री मन्नालाल पत्नि धनराज जाति बलाई नि0 भाण्डाहेडा तहसील दीगोद
3– केसरबाई बेवा मन्नालाल जाति बलाई निवासी नयाखेडा तहसील लाडपुरा
4– सन्जू पुत्री मन्नालाल पत्नि मुकेश जाति बलाई निवासी भगवानपुरा तहसील लाडपुरा
5– सत्यनारायण पुत्र मन्नालाल जाति बलाई निवासी नयाखेडा तहसील लाडपुरा
6– लक्ष्मीबाई पत्नि बनवारी लाल जाति मेहर निवासी डगारिया तहसील दीगोद
7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगणकी ओर से – श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– श्री राम बाबू दीधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट बाबत बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम मूंडला पटवार हल्का मूंडला तहसील दीगोद जिला कोटा में निम्न विवरण की 2 किता की 1.80 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 संलग्न है।

खसरा न0 557 की 0.95 हैक्टर
खसरा न0 558 की 0.85 हैक्टर
कुल 2 किता की 1.89 हैक्टर

फोटो प्रति प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी
एस० डी० ओ० दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी न0 1 ता 6 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादीगण का 3/12 यानी 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी न0 1 ता 5 प्रत्येक का 1/20, 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी न0 6 का 1/2 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

यह कि वादीगण अपने 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। किन्तु प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने पर आमादा रहते हैं। जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है।

यह कि वादीगण नें प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का विभाजन करने हेतु दिनांक 10.05.2022 को कहा तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त भूमि का विभाजन करने से इन्कार कर दिया तथा बिना विभाजन कराये उक्त अविभाजित हिस्से की भूमि के रहन बेचान करने की धमकी दी। जबकि उक्त अविभाजित भूमि को बिना विभाजन कराये प्रतिवादीगण को रहन बेचान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

यह कि प्रतिवादी गण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से वंचित करें तथा वादीगण को उनके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा करें, और उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बेचान करें। इस कारण उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है।

यह कि वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में व्यवधान पैदा करने, बेदखल करने की धमकी दी तथा बिना विभाजन कराये दिनांक 10.05.2022 को उक्त भमि को रहन बेचान व खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर पैदा हुआ।

यह कि प्रतिवादी न0 7 भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिऐट रिलीफ से संबंधित है। इस कारण वादीगण न वाद में प्रतिवादी न0 7 राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80(2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है कारण विवादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। और वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः—

1. कि वाद पत्र की मद न0 1 में अंकित भूमि ग्राम मूंडला तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा न0 557 की 0.95 हैक्टर, खसरा न0 558 की 0.85 है0 कुल 2 किता की 1.89 है0 भूमि का वादीगण व प्रतिवादी न0 1 ता 6 के मध्य विभाजन किया जाकर वादीगण के 1/4 हिस्से की भूमि को अलग खाते दर्ज किये जाने व लगान अलग कायम किये जाने की डिकी पारित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

2. कि स्थाई निषधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम मूंडला तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा न0 557 की 0.95 है0, खसरा न0 558 की 0.85 है0 कुल 2 किता की 1.89 है0 भूमि को अथवा उसके किसी भाग को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द व रहन, बेचान तथा अन्तरण व हस्तान्तरण नही करें तथा वादीगण को 1/4 हिस्से की भूमि को काश्त करने से नहीं रोके और व व्यवधान पैदा करे।

3. कि प्रतिवादी न0 7 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

वादी की ओर से संलग्न दस्तावेज

1— नकल जमाबन्दी ग्राम मूंडला सम्वत 2076—2079

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी क्रम 1 व 3 ता 6 की ओर से श्री रामबाबू दीधीच एडवोकेट की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी कम 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी क्रम 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जेरकार प्रकरण में पूर्व में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस सुनी जाकर वादी का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम मूंडला तहसील दीगोद के खसरा न0 557 की 0.95 है0, खसरा न0 558 की 0.85 है0 कुल 2 किता की 1.89 है0 भूमि का पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकार्ड के हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार दीगोद को प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2024 पारित की जाकर आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री के आधार पर तहसीलदार दीगोद की ओर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। जेरकार प्रकरण में तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से सहमति प्रकट की तथा आदेशिका में उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा अपने अपने हस्ताक्षर किया गये। तहसीलदार दीगोद की ओर से विभाजन प्रस्ताव निम्न रूपेण प्रस्तुत किया गया:—

तहसीलदार दीगोद की ओर से वर्तमान खातेदार के हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार तैयार कर पेश किया गया:—

फोटो प्रति प्रमाणित

ग्राम जमाबन्दी /खाता संख्या	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा(है0)	दिशा
मूंडला सम्वत 2076—779	लक्ष्मीबाई पत्नि बनवारी लाल जाति मेहर सा डगारिया रहन SBI शाखा दीगोद	557	0.6200 है0	पश्चिमी
		558	0.2800 है0	पश्चिमी
		किता 2	0.9000 है0	
	जुगल किशोर मेघवाल, धर्मेन्द्र कुमार मेघवाल, महेन्द्र वर्मा पि0 रामनारायण जाति मेघवाल नि0 रामचन्द्रपुरा कोटा हि0 बराबर	557	0.1650 है0	मध्य
		558	0.2850 है0	मध्य
		किता 2	0.4500 है0	
	अशोक, सत्यनारायण पुत्रान, कमलेश, संजू बाई पुत्रियां, केसर बाई पत्नि स्व0 मन्नालाल जाति बलाई सा0 देह हि0 बराबर	557	0.1650 है0	पूर्वी
		558	0.2850 है0	पूर्वी
		किता 2	0.4500 है0	

उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0)

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने सहमति व्यक्त करने पर प्रकरण को अंतिम बहस में नियत किया गया। प्रकरण में उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 3 ता 6 के अधिवक्ताओं ने सहमति जाहिर करने पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया एव मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः उक्तानुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष की सहमति से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

प्रमाणित

अधिकारी

दीगोद

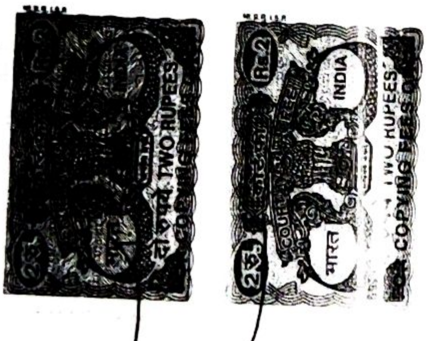

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा राज0

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– जुगल किशोर पुत्र रामनारायण जाति मेघवाल
2– धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण जाति मेघवाल
3– महेन्द्र वर्मा पुत्र रामनारायण जाति मेघवाल
निवासीगण मकान न0 123/144 बी रामचन्द्रपुरा कोटा

(वादीगण)

बनाम

1– अशोक पुत्र मन्नालाल जाति बलाई निवासी नयाखेडा तह0 लाडपुरा
2– कमलेश पत्री मन्नालाल पत्नि धनराज जाति बलाई निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद
3– केसरबाई बेवा मन्नालाल जाति बलाई निवासी नयाखेडा तहसील लाडपुरा
4– सन्जू पुत्री मन्नालाल पत्नि मुकेश जाति बलाई निवासी भगवानपुरा तहसील लाडपुरा
5– सत्यनारायण पुत्र मन्नालाल जाति बलाई निवासी नयाखेडा तहसील लाडपुरा
6– लक्ष्मीबाई पत्नि बनवारी लाल जाति मेहर निवासी डगारिया तहसील दीगोद
7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण

वादीगणकी ओर से – श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– श्री राम बाबू दीधीच एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट बाबत बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा</u>

फोटो प्रति प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
(एस० डी० एम०) दीगोद

<u>मिसल नं 68/2022</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत सहमति से विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। उभय पक्ष की ओर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद ग्रस्त आराजी पर वादी एव प्रतिवादीगण का विभाजन किये जाने योग्य है। तहसीलदार दीगोद की ओर से वर्तमान खातेदार के हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार प्रस्तुत करने पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज.)

ग्राम जमाबन्दी /खाता संख्या	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा(है0)	दिशा
मण्डला सम्वत 2076–779	लक्ष्मीबाई पत्नि बनवारी लाल जाति मेहर सा डगारिया रहन SBI शाखा दीगोद	557	0.6200 है0	पश्चिमी
		558	0.2800 है0	पश्चिमी
		किता 2	0.9000 है0	
	जुगल किशोर मेघवाल, धर्मेन्द्र कुमार मेघवाल, महेन्द्र वर्मा पि0 रामनारायण जाति मेघवाल नि0 रामचन्द्रपुरा कोटा हि0 बराबर	557	0.1650 है0	मध्य
		558	0.2850 है0	मध्य
		किता 2	0.4500 है0	
	अशोक, सत्यनारायण पुत्रान, कमलेश, संजू बाई पुत्रियां, केसर बाई पत्नि स्व0 मन्नालाल जाति बलाई सा0 देह हि0 बराबर	557	0.1650 है0	पूर्वी
		558	0.2850 है0	पूर्वी
		किता 2	0.4500 है0	

वर्तमान खातेदार के हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार दीगोद की ओर से पेश किया गया जिसे वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम के अधिवक्ता द्वारा सहमति व्यक्त किये जाने पर स्वीकार किया जाता है। उभपक्ष में सहमति से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमद दरामद किया जाकर नक्शा में तरमीम की जावे।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 02.04.2025 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

फोटो प्रति प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
एस.डी.ओ. दीगोद

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,दीगोद जिला कोटा

क्रमांक / रीडर / 2025 / 1703

दिनांक 07 / 04 / 2025

तहसीलदार
दीगोद

विषय :– इजराजय की पालना रिपोर्ट के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में जैरकार इजराय संख्या . उनवान जुगल किशोर बनाम अशोक में निर्णय दिनांक 02.04.2025 की पालना रिपोर्ट अपेक्षित है।

अतः इजराय एवं उक्त निर्णय की छायाप्रति भेज कर लेख है कि आप उक्त प्रकरण में आगामी पेशी तारीख 06.05.2025 से पूर्ण पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

e-mail : sdodig-kot-rj@nic.in